

## राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

### (क) राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

1. सरकार ने लगभग दो दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से खुला बनाकर राजकोषीय तौर पर विस्तारवादी नीति को अपनाया ताकि 3 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि की रूपरेखा तैयार की जा सके और उच्च विकास गति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। परिणामी राजकोषीय दबाव तथा भुगतान संतुलन की समस्याओं के बावजूद, अर्थव्यवस्था वास्तव में वार्षिक विकास को दुगने से अधिक करने में समर्थ हुई है। वर्ष 1991 में प्रारम्भ किए गए आर्थिक सुधारों ने हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जहां भारत विश्व में तेजी से बढ़ रही प्रजातांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। राजकोषीय दबाव जो पांचवें वेतन आयोग तथा आर्थिक मंदी के बाद शीर्ष पर था, में अब सुधार हो गया है, ऐसा मुख्यतः कर संग्रहणों में सुधार से तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों से नकदी में बढ़ोतरी के फलस्वरूप ब्याज सम्बन्धी भार में कमी आने के कारण हुआ है।
2. वर्ष 1991 से, राजकोषीय नीति में कर सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। ये सुधार वर्ष 1991 में अप्रत्यक्ष करों तथा 1997 में प्रत्यक्ष करों पर केन्द्रित थे और इनमें कर दरों को घटाने, प्रक्रिया को सरल बनाने, मुकदमेबाजी घटाने, कर दायरे का विस्तार करने और सामान्यतः स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया गया। इन सुधारों से विशेषकर प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में वांछित परिणाम निकले, जिससे कर राजस्व की संरचना में गहन संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ कर आधार को व्यापक बनाने में सहायता मिली है।
3. ऋण तथा घाटा प्रबन्धन के सन्दर्भ में, वर्ष 1991 से प्रारम्भ किए गए राजकोषीय नीति सम्बन्धी परिवर्तनों का उद्देश्य बाजार उधार पर अधिक निर्भरता, श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में खुदरा बाजार का विकास, विदेशी ऋण का विवेकपूर्ण प्रबन्धन तथा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त हो रही विदेशी सहायता को बजटीय माध्यम के बिना सीधे ही प्रदान करना है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण अब लगभग पूर्णतः घरेलू तौर पर किया जा रहा है। ये उपाय भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काफी सफल रहे हैं।
4. व्यय के सम्बन्ध में, राजकोषीय नीति सम्बन्धी प्रयासों को आशानुरूप सफलता नहीं मिली क्योंकि पांचवें वेतन आयोग तथा व्यय सुधार आयोग द्वारा सुझाए गए कई उपायों पर अभी विचार किया जाना है/उन्हें कार्यान्वित किया जाना है तथा जिन उपायों को कार्यान्वित किया जा चुका है, उनसे परिणाम प्राप्त होने में लम्बा समय लगेगा। तथापि, वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में व्यय पर पड़े दबाव में वेतन तथा पेंशन बजट के स्थिरीकरण तथा ब्याज दरों को आसान बना देने से कमी आयी है। सार्वजनिक व्यय, विशेषकर राजस्व भिन्न व्यय की वृद्धि में कुछ कमी देखी गई है और साथ ही राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजना व्यय की प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
5. हाल के वर्षों में राजकोषीय दबाव में सापेक्ष कमी आने और उसके फलस्वरूप वृहद् आर्थिक पैरामीटरों पर राजकोषीय अनुशासनहीनता के सम्भावित घातक प्रभाव के बारे में सन्तुष्टि का रवैया न बन जाय इस आशंका को ध्यान में रखते हुए, संसद ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 नामक एक कानून अक्टूबर, 2003 में पारित किया था जिसे अब 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी बना दिया गया है और उसके अधीन बनाए गए नियमों को भी उसी तारीख से अधिसूचित कर दिया गया है। अब राजकोषीय दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यापक कर सुधारों के माध्यम से राजस्व घाटे को कम करने की दिशा में है।

**(ख) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय नीति :**

6. जैसा कि वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण में दिखाया गया है, वर्ष 2004-05 का बजट बढ़ते मुद्रास्फीतिकारी दबावों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी तथा वस्तु बाजारों में व्याप्त अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ठोस आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. वर्ष 2004-05 के बजट के माध्यम से सरकार स्वयं राजकोषीय नीतियों के अनुपालन हेतु वचनबद्ध है जो निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी हैं :-
  - आर्थिक विकास को बनाए रखना, उसमें तेजी लाना तथा उसे व्यापक आधार देना, विशेषकर अब तक उपेक्षित कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने पर जोर देना;
  - कर आधार को व्यापक बनाने हेतु अगली पीढ़ी के कर सुधारों को हाथ में लेने हेतु मौजूदा अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करना और सं.अ. 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.6 प्रतिशत राजस्व घाटे को घटाकर ब.अ. 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक लाना, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बनाए गए सांविधिक नियमों के तहत निर्धारित 0.5 प्रतिशत के वार्षिक न्यूनतम लक्ष्य से अधिक होगा;
  - अर्थव्यवस्था में बचत की मध्यावधि/दीर्घावधि सम्भावनाओं को कोई नुकसान पहुंचाए बिना तथा गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य नियत आय अर्जकों के हितों पर बिना प्रतिकूल असर डाले भारतीय रिजर्व बैंक को धन आपूर्ति की वृद्धि में नियंत्रण रखने हेतु सहायता प्रदान करना;
  - राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजना व्यय की प्राथमिकताओं को नई दिशा देना;
  - राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गयी व्यवस्था के अनुसार सब्सिडियों को नए सिरे से पुनर्संरचित करना ताकि इनका लाभ उन लोगों के द्वारा न हड़प लिया जाए जो इन सब्सिडियों का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं;
  - खाद्य, जल, ऊर्जा, परिवहन तथा संचार के क्षेत्रों में, जो राष्ट्र के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण हैं, एक समेकित विकास के परिदृश्य को प्रोत्साहन देना ;
  - "वैट" के माध्यम से एकल राष्ट्रीय बाजार की दिशा में बढ़ने हेतु राज्यों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयार होना तथा सम्बद्ध गतिविधियों विशेषकर कृषि के क्षेत्र में नियंत्रणों को समाप्त करना;
  - राजकोषीय संस्थानों में सुधार तथा पुनर्संरचना में राज्यों के साथ भागीदारी के लिए तैयार होना जिसमें बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर और तेजी आएगी ;
  - राजकोषीय अनुशासन में वृद्धि, फालतू व्यय को रोकना तथा कर अनुपालना को लागू करना;
8. हालांकि, मुद्रास्फीति की एक संयत मात्रा आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में सहायक है, लेकिन नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति में इससे चहुंमुखी नुकसान भी हो सकता है। "मुद्रास्फीति कर" के रूप में मुद्रास्फीति का गरीबों पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार बढ़ते खुलेपन की स्थिति में घरेलू मुद्रास्फीति के उच्च स्तरों में नियत आय अर्जकों के लिए गम्भीर परेशानी पैदा होती है और अर्थव्यवस्था में बचतों की मध्यावधि/दीर्घावधि सम्भावनाओं में नुकसान पहुंचाती हैं। यह ब्याज दरों पर दबाव को बढ़ाएगी तथा उस वजह से सरकार तथा कारपोरेट दोनों की वित्तीय व्यवस्था में बोझ बढ़ेगा, प्रतिस्पर्द्धा में कमी आएगी तथा अन्ततः विकास में मंदी आएगी। अल्पावधि में, इससे मनमाने अवसरों पर नकद खर्च करने में शीघ्र चलायमान मुद्रा के उपयोग से विदेशी क्षेत्रक

के प्रबंधन में समस्याएँ बढेंगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट सम्पर्क से कार्य करना चाहती है ताकि मुद्रास्फीति को सीमित किया जा सके। तदनुसार, सरकार बाजार को स्थिरीकरण प्रदान करने हेतु बाजार स्थायित्व बांडों का निर्गम जारी रखेगी तथा बढते विदेशी मुद्रा भण्डार द्वारा उत्पन्न नकदी आधिक्य के उपयोग द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करेगी। इन बांडों से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक व्यय के वित्तपोषण हेतु नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से उनका मूल उद्देश्य ही, जिस हेतु वे जारी की गयी हैं, समाप्त हो जाएगा।

9. जबकि वर्तमान में लघु बचतों पर ब्याज दरों के संबंध में यथापूर्व स्थिति कायम रखते हुए सरकार अधिक ब्याज दर वाली नई बचत योजनाएं लाकर वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण का इरादा रखती है। ब्याज दर और कर नीति के माध्यम से दीर्घावधिक बचतों का संवर्धन करने की सरकार की नीति जारी रहेगी।
10. कतिपय राजकोषीय नीति के उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

#### कर नीति

11. 1991 में शुरु किए गए पहले चरण के कर सुधार वर्गीकरण विवादों को दूर करने व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के सरलीकरण पर केंद्रित थे तथा 1997 में शुरु किए गए दूसरे चरण के कर सुधारों में प्रत्यक्ष कर की दरें घटाना व कराधार का विस्तार करना था। अब उपयुक्त समय है कि सेवा पर कराधान तथा मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू करने के लिए आधार तैयारी को लक्षित रखते हुए तीसरे चरण के कर सुधार शुरु किए जाएं। सरकार धीरे-धीरे सामानों व सेवाओं का एकीकृत कराधान अपनाने व सीमा शुल्क कम करके आसियान देशों में विद्यमान स्तरों पर लाने का इरादा रखती है। उत्पाद शुल्कों में धीमी वृद्धि पिछले कुछ समय से कराधान प्रणाली में एक कमजोर बात रही है। विशेषतया अगले वर्ष मूल्य वर्धित कर की शुरुआत करने की तैयारी में सेवा कर के क्षेत्र को व्यापक बनाने व अब उत्पाद शुल्कों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है।
12. 1997 में शुरु किए गए सतत प्रत्यक्ष कर सुधारों के परिणामस्वरूप कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 1996-97 में लगभग 30% से बढकर बजट अनुमान 2004-05 में लगभग 44% हो गया, यह मुख्यतः निगम कर में पर्याप्त रूप से हुई वृद्धि के कारण है। प्रत्यक्ष कर निर्धारितियों की संख्या 1996-97 में 1.25 करोड़ से बढकर अब लगभग 3.4 करोड़ हो गई है।
13. सभी कम आय वाले निर्धारितियों को कराधान प्राधिकारियों के खातों में से आवश्यक रूप से बाहर न लाते हुए उनकी कर देयता घटाते हुए व्यक्तिगत कर के लिए प्रभावी शून्य-कर सीमा बढाया जाना था। जबकि यह सत्य है कि प्रभावी शून्य-कर व्यक्तिगत आय तत्पश्चात् प्रति व्यक्ति आय से महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी तथा यह अंतर इतना ज्यादा नहीं होगा जब हम शहरी क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति आय की गणना करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत आय में कृषि आय शामिल नहीं होती है तथा प्रशासनिक कारणों से शहरी रहन-सहन की उच्च लागत होने से मदवार कटौती करना व्यवहारिक नहीं है।
14. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत वचनबद्धता के अनुसार स्कूली बच्चों हेतु पके भोजन सहित गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के वित्तपोषण हेतु सभी केन्द्रीय करों व शुल्कों पर 2% उपकर लगाए जाने की आवश्यकता है।

15. पूंजी बाजार के विकास को अधिक बढ़ावा देने के लिए दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसकी बजाय, प्रतिभूतियों के लेनदेनों पर एक सामान्य कर लगाने की शुरुआत करने की आवश्यकता है।
16. पेंशन निधि में अंशदानों पर संग्रहण स्तर के दौरान कर से छूट दी जानी है तथा इस पर लाभ-संवितरण स्तर के समय ही कर लगाया जाए।
17. अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों के तहत ब्याज आय पर कर रियायत वापिस ली जानी है क्योंकि बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार अब नकदी प्रबंधन समस्याएं खड़ी कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की उपयोगिता नहीं रही है।
18. निर्यात और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों तथा 1 जनवरी, 2005 से कपड़ों व वस्त्रों पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लागू होने के दृष्टिगत समूची मूल्य वर्धन श्रृंखला पर कर लगाने के नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र के कराधान का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाना है।
19. सेवा कर तंत्र में और सेवाओं को शामिल करके, विद्यमान कर वाली सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार और कतिपय छूटों को समाप्त करके इसे व्यापक बनाया जा रहा है।

#### व्यय नीति

20. यद्यपि यह तर्क दिया जाता रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक व्यय अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में थोड़ा है, कम कर-सघट. अनुपात, ऋण की बढ़ती मात्रा एवं उच्च घाटा सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक व्यय की वृद्धि में रुकावट है। इसके सिवाय, यह देखा गया है कि वित्तीय परिव्यय पर अधिक ध्यान और परिणामों के प्रति लापरवाही से विकासात्मक उद्देश्यों को हासिल करने में गंभीर कमियां सामने आई हैं।
21. बजट में अंतर्निहित सार्वजनिक व्यय नीति की व्यय आवंटन प्राथमिकताओं को दो प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जाना है। रक्षा तैयारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की जानी है तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पहचाने गए महत्व वाले क्षेत्रों के लिए 2004-05 के बजट अनुमान में 10,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान किया गया है। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के लिए तथा 4,000 करोड़ रुपए राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के अंतर्गत नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए है। ये नई/पुनःसंरचित योजनाएं राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों में सहायक होंगी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेय जल, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं (पूरा) का प्रावधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सड़कों जैसे कार्यक्रमों को भी स्थान दिया जाएगा।
22. सरकार का सब्सिडियों के प्रचालनात्मक पहलुओं की सघन पुनरीक्षा व उनकी पुनःसंरचना का इरादा भी है ताकि इन सब्सिडियों के लाभ उनके द्वारा हड़प न कर लिए जाएं जो इसके लक्षित वर्ग नहीं हैं। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार खाद्य सब्सिडी भार को बढ़ाने वाली अकुशलताओं को नियंत्रण में लाने के लिए वचनबद्ध है तथा उसका लक्ष्य सभी सब्सिडियों तेजी के साथ गरीबों व छोटे तथा सीमांतिक किसानों, खेती श्रमिकों व शहरी गरीबों जैसे वास्तविक जरूरतमंदों को देना है।

23. सरकार का राज्यों को प्रोत्साहित करने का इरादा है कि वे राज्य के ऋण को केन्द्रीय बजट के माध्यम से लेने की बजाय सीधे बाजार में पहुंच बनाएं तथा ऋण-समर्थन आधार पर राज्यों को विदेशी ऋण आगे उधार देने पर विचार करें अर्थात् उन्हीं शर्तों पर जिनपर यह केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है।

#### सरकार का उधार लेना, उधार देना व निवेश

24. लोक ऋण-आंतरिक व बाह्य, दोनों के प्रबंधन के बारे में प्रचलित नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। यह राजकोषीय घाटे के वित्त-पोषण हेतु बाजार से उधार पर अधिक निर्भरता के पक्ष में बनी रहेगी; कम ब्याज दर प्रणाली को बढ़ावा तथा दीर्घावधि बचतों को बढ़ावा देती रहेगी; सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गहन व खुदरा बाजार का विकास करेगी; ब्याज भार घटाने के लिए ऋण अदला-बदली अवसरों व पुनर्वित्तपोषण पर रोक लगाएगी तथा राज्य सरकारों को इसी प्रकार के अवसरों की अनुमति देगी। सरकार द्वारा अब राज्य सरकारों को उधार मुख्यतया राज्यों को आयोजना अंतरणों की निश्चित वित्तपोषण पद्धति (अनुदान: ऋण अनुपात) के भाग के रूप में है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण देने की प्रवृत्ति कमजोर हो रही है क्योंकि इन उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सीधे वाणिज्यिक शर्तों पर बाजार से उधार लें। सरकार का राज्यों को घरेलू ऋण देने के लिए इसी तरह के प्रबंध अपनाने का इरादा है। जहां तक वैदेशिक ऋणों का संबंध है सरकार उन्हीं शर्तों पर वैदेशिक ऋण आगे देने पर विचार करने का इरादा रखती है जिसपर ये प्राप्त होते हैं, क्योंकि संविधान के तहत केन्द्र सरकार ही विदेशों से उधार ले सकती है। इन संशोधनों को योजना आयोग और राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा। कुछ वर्षों में वापसी अदायगियों को समूहीकृत करने सम्बन्धी संदर्भों पर सरकारी प्रतिभूतियों के नये निर्गमों की परिपक्वता का निर्धारण करते समय ध्यान दिया जा रहा है।

#### आकस्मिक और अन्य देनदारियां

25. सरकार नियन्त्रणों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाकर एक निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार करने में विश्वास करती है। नए निवेश के लिए कर्ज और बुनियादी ढांचे (ऊर्जा, परिवहन और संचार) के अब पहले की तरह बड़ी अड़चने नहीं रह जाने से, निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी गारंटियों की तरह के प्रोत्साहनों की बहुत कम जरूरत रह गई है। अतः सरकार वर्ष 2004-2005 के दौरान गारंटियों को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक सीमित रखेगी जो मुख्यतया बहुपक्षीय एजेन्सियों से वैदेशिक ऋणों के रूप में तथा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरोद्धार के लिए उपायों के पैकेज के रूप में दिया जाएगा। सरकार ऐसे किसी उधारकर्ता को गारंटी नहीं देगी जो इसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है। आम तौर पर, सरकार सामान्य वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए गारंटियों को हतोत्साहित करेगी जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा समुचित उद्यमशीलता के जरिए हासिल किए जाने की आवश्यकता है। सरकार मौजूदा गारंटी-धारक ऋणदाताओं से भी सरकारी गारंटी के कवच को समाप्त करने हेतु परस्पर सहमत समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू करेगी।

#### नियन्त्रित वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण

26. वर्तमान में नियन्त्रित उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों के सम्बन्ध में स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है और जब कभी आवश्यकता होगी, उपभोक्ताओं, तेल कंपनियों और सरकार के बीच बोझ की साम्य भागीदारी से समायोजन किए जाएंगे।

### आगामी वर्ष के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं

27. (i) वैयाक्तिक तथा निगमित आय के प्रयोजनार्थ कर प्रणाली के यौक्तिकीकरण, कर बकायों की वसूली के लिए विशेष अभियान, प्रतिभूतियों में लेनदेन पर कर लगाकर सेवा कर का दायरा बढ़ाकर और केन्द्रीय करों/शुल्कों पर 2 प्रतिशत अधिभार लगाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने हैं।
- (ii) व्यय प्रबन्धन में आयोजना स्कीमों की गहन पुनरीक्षा और यौक्तिकीकरण तथा एकीकरण, सब्सिडियों के बेहतर लक्ष्यीकरण तथा अन्य आयोजना-भिन्न व्यय की वृद्धि पर सख्त नियन्त्रण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- (iii) सरकारी ऋण का प्रबन्धन इस ढंग से किया जाएगा कि ब्याज की देनदारियों में कमी लाने और दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की अवधि बढ़ाने, दीर्घावधिक बचतों को बढ़ावा देने और खुदरा श्रेष्ठ बाजार के और अधिक विकास के जरिए निवेशकों का दायरा बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।

### नीतिगत परिवर्तनों हेतु तर्क-आधार

28. व्यक्तिगत आय कर के लिए प्रभावी शून्य-कर स्तर बढ़ाने का उद्देश्य बड़ी संख्या में निम्न आय अर्जकों के सम्बन्ध में राहत प्रदान करना है।
29. सीमा शुल्क ढांचे में परिवर्तन आम तौर पर एसियान देशों में प्रचालित प्रशुल्क स्तरों की ओर बढ़ने के मध्यावधिक उद्देश्य के अनुरूप हैं। 13 अतिरिक्त सेवाओं को सेवा कर के दायरे में शामिल करना वस्तुओं और सेवाओं के विभेदक संव्यवहार से पैदा हुई विसंगति को दूर करने और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ते हुए हिस्से में एक क्षेत्रक को कर दायरे में लाने के मध्यावधिक उद्देश्य के अनुरूप है। अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क ढांचे में परिवर्तन एक समान दर की ओर बढ़ने, न्यूनतम छूट और अन्ततः वस्तुओं सेवाओं के एकीकृत कराधान की दिशा में बढ़ने के मध्यावधि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं।
30. राज्य ऋण की मध्यस्थहीनता की ओर क्रमिक रूप से बढ़ने की पहल का उद्देश्य बेहतर बाजार-उत्प्रेरित राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ केन्द्र के राजकोषीय घाटे में कमी लाना है। सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण उनको घटाने और उन्हें वास्तविक लाभार्थियों तक सीमित करने के साथ दुरुपयोगों और अक्षमताओं पर रोक लगाने और उन्हें जरूरतमंदों तक लक्षित करने के मध्यावधिक उद्देश्य के अनुरूप है।

### आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य

31. राजकोषीय उत्तदायित्व और बजट प्रबन्धन नियमावली, 2004 के नियम 7 के अनुसार, सरकार उसमें यथासंकल्पित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि 2004-2005 की दूसरी तिमाही के अन्त में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही पुनरीक्षा परिणाम यह दर्शाता है कि-

- (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां उस वर्ष के बजट अनुमानों से 40 प्रतिशत से कम हैं; अथवा
- (ii) राजकोषीय घाटा उस वर्ष के बजट अनुमान के 45 प्रतिशत से अधिक है; अथवा
- (iii) राजस्व घाटा उस वर्ष के बजट अनुमान के 45 प्रतिशत से अधिक है।

### नीतिगत मूल्यांकन

32. सुदृढ़ वृहद आर्थिक मूलाधारों ने वर्षों से भारत में राजकोषीय असंतुलन-उत्प्रेरित वृहद-आर्थिक संकट उत्पन्न होने से बचाया है। परन्तु इसके साथ ही यह भी माने जाने की आवश्यकता है कि वृद्धि के संदर्भ में एक अवसर जनित लागत हैं जो वृद्धि की पूर्ववर्ती है। समस्या के केन्द्र में निरंतर रूप से न्यून कर-स.घ.उ. अनुपात है। केन्द्र सरकार का कर-स.घ.उ. अनुपात जो 1987-88 में 10.6 प्रतिशत था वह 1993-94 में 8.8 प्रतिशत के स्तर तक गिर गया और 2003-04 तक उसी के आसपास बना रहा जब यह बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया।
33. छूटों, प्रोत्साहनों तथा रियायतों को कम करके कराधार को व्यापक बनाना; दरों की बहुलता में कमी लाना; कर दरों को कम करना; कर के भार को उत्पादन से उपभोग में परिवर्तित करना; विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता से दूर रहना और सेवाओं सहित सभी मूल्य वर्धनों पर कर लगाना; मौजूदा तथा भावी उपभोग के मध्य मध्यस्थता बढ़ाना; कारोबारी संगठनों के विभिन्न स्वरूपों और वित्तीय स्रोतों के सम्बन्ध में कर प्रणाली की तटस्थता बढ़ाना, कर परिहार और अपवंचन की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कर प्रणाली की प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार करना; ये कर नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। सरकार का प्रयास इन सिद्धांतों को कार्यरूप में लाना होगा।
34. बजट में अंतर्निहित राजकोषीय नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सरकार के अन्य ऋण-भिन्न संसाधनों की स्थिर और यहां तक कि गिरावट की प्रवृत्ति तथा व्यय सुधारों के आरंभिक अवधि के दीर्घ अंतराल के परिप्रेक्ष्य में, मुख्यतया व्यापक कर सुधारों के माध्यम से राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी लाना है। यह "मानवीय चेहरा युक्त सुधार" के दर्शन अनुरूप है जिसके अंतर्गत राजकोषीय सुधार लाने का बोझ उन व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाना है जो ऐसा करने में सक्षम हैं। 1997 में शुरू किए गए प्रत्यक्ष कर सुधारों की सफलता से सरकार राजकोषीय सुधार से यह संकेत मिलते हैं कि राजकोषीय सुधार की सम्भावना काफी उज्ज्वल है।